संख्या 151 /2017/1958/ सात-न्याय -9(बजट)-2017-800(9)/2016

प्रेषक,

उमेश कुमार
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

महानिबन्धक,
मा0 उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद ।

न्याय अनुभाग-9 बजट **लखनऊ दिनांक 28 दिसम्बर,2017**

विषय- जनपद वाराणसी में विशेश्वर विश्राम गृह (जजेज गेस्ट हाऊस) के मरम्मत एवं सौंदर्यीकरण हेतु पुनरीक्षित प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0-32/2016/265/सात-न्याय-9(बजट)-2016-800(9)/2016, दिनांक 02 फरवरी, 2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करे, जिसके माध्यम से जनपद वाराणसी में विशेश्वर विश्राम गृह (जजेज गेस्ट हाउस) के मरम्मत एवं सौंदर्यीकरण हेतु आगणन रू0192.04 लाख पर प्रशासकीय/वित्तीय अनुमोदन के साथ-साथ रू0192.04 लाख की स्वीकृति निर्गत की गयी है । पुन: शासनादेश सं0-55/2017/1184/सात-न्याय-9(बजट)-2017-800(9)/2016, दिनांक 05 जून, 2017 के माध्यम से रू0336.59 लाख के पुनरीक्षित आगणन पर पुनरीक्षित प्रशासकीय/वित्तीय अनुमोदन के साथ- साथ पूर्व स्वीकृत धनराशि को समायोजित करते हुए अवशेष धनराशि रू0144.55 लाख की स्वीकृति निर्गत की गयी है ।

2- तत्क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद वाराण्सी में विशेश्वर विश्राम गृह (जजेज गेस्ट हाऊस) के मरम्मत एवं सौंदर्यीकरण कार्य हेतु पुन:पुनरीक्षित आगणन रू0371.51 लाख पर प्रशासकीय/वित्तीय अनुमोदन के साथ-साथ पूर्व स्वीकृत धनराशि रू0 336.59 लाख को समायोजित करते हुए अवशेष धनराशि **रू0034.92 लाख (रू0 चौतीस लाख बानबें हजार मात्र)** की धनराशि निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन व्यय हेतु स्वीकृत किये जाने की महामहिम श्री राज्यपाल सहर्ष् स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

1 चूंकि उक्त अनुरक्षण कार्य हेतु सी0एण्ड डी0एस0 उ0प्र0 जल निगम कार्यदायी संस्था नामित है। अत: उक्त स्वीकृत धनराशि आहरित करके निदेशक, सी0एण्ड डी0एस0 उ0प्र0 जल निगम लखनऊ को उपलब्ध कराने हेतु निबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ खण्ड पीठ लखनऊ को अधिकृत किया जाता हैं ।

2 मरम्मत कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी। आगणन में प्रयुक्त उच्च विशिष्टियों की जो भी मदें है जिनकी दरें बाजार दर (मार्केट रेट) पर आधारित है, उनकी दरों का अनुमोदन महाप्रबन्धक/प्रबन्ध निदेशक, सी0एण्ड डी0एस0, उ0प्र0 जल निगम द्वारा नियमानुसार किया जायेगा । कास्ट आफ सिफिटंग आफ इलेक्ट्रिकल

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

पैनल का जो भी एक मुश्त प्राविधान किया गया है इन्की दरों का अनुमोदन वास्तविक आधार पर सक्षम प्राधिकारी (महाप्रबन्धक विद्युत) सी0एण्ड डी0एस0, उ0प्र0 जल निगम द्वारा नियमानुसार किया जायेगा । इन्टरलाकिंग टाइल्स के लिए रबर मोलडेड टाइल्स की दरें ही अनुमोदित की जाती है ।

3 रेनोवेशन/मरम्मत सम्बन्धी कार्य की गुण्वत्ता बनी रहे तथा कार्य की मापों/ मात्राओं आदि की द्विरावृत्ति की सम्भावना किसी स्तर पर न हो इसका दायित्व कर्यदायी संस्था का होगा तथा इसकी देख रेख के लिए जनपद न्यायाधीश द्वारा एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जायेगा।

4 रेनोवेशन / मरम्मत के समय प्राप्त मलवे की धनराशि सुंसगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत राजकोष में जमा किया जायेगा । प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना कार्यो के आकार एवं क्षेत्रफल में वृद्धि एवं उच्च विशिष्टियों का इस्तेमाल सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना नहीं किया जायेगा ।

5 स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र सक्षम स्तर से प्रतिहस्ताक्षरित कराकर प्रत्येक माह शासन को उपलब्ध कराया जायेगा ।

6 धनराशि का उपयोग दिनांक 31-03-2018 तक कर लिया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि बैंकखाता अथवा पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी ।

7 पुनरीक्षित आगणन के आधार पर प्रश्नगत कार्य हेतु अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत नहीं की जायेगी

8 प्रश्नगत धनराशि की स्वीकृति जिस कार्य हेतु प्रदान की जा रही है, उसी कार्य में धनराशि व्यय की जायेगी ।

8 लेबर सेस की धनराशि श्रम विभाग को नियमानुसार उपलब्ध कराई जायेगी।

9 स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

10 दिनांक 01 सितम्बर,2017 से प्रदेश सरकार द्वारा निर्माण कार्य में ई-टेण्डरिंग व्यवस्था लागू की गयी है । इसका नियमानुसार अनुपालन कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा ।

11 भारत सरकार द्वारा सामग्री और सेवाओं के आपूर्ति के लिए गर्वनमेन्ट ई- मार्केट प्लेस (GeM) पोर्टल लागू किया गया है । प्रदेश सरकार द्वारा इस व्यवस्था को अंगीकार करते हुए जेम पोर्टल पर सामग्री क्रय एवं सेवाओं की आपूर्ति हेतु सूक्षम लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के शासनादेश दिनांक 23 अगस्त,2017 एवं 29 अगस्त,2017 के माध्यम से दिशा निर्देश निर्गत किया गया है। कार्यदायी संस्था द्वारा इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

12 प्रश्नगत कार्य के सम्बन्ध में प्रदेश का राजकोषीय प्रबन्धन विषयक वित्त आय् व्ययक अनुभाग 2 के शासनादेश सं0 बी 2-171 / दस – 2008- 244- 5/2008, दिनांक 21 जनवरी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

,2010 में दिये गये निर्देशों का कडायी से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा किसी भी प्रकार की अनियमितता के लिए निर्माण एजेन्सी/ सम्बन्धित उत्तरदायी होंगे।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में अनुदान सं0-42 के अधीन लेखाशीर्षक ‘’ 2014- न्याय प्रशासन -00- 800-अन्य व्यय - 06-विभागीय आवासीय भवनों के अनुरक्षण हेतु प्राविधान -00- 29- अनुरक्षण ‘’ के नामे डाला जायेगा ।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0-ई-12-1379/दस-2017, दिनांक 14 दिसम्बर, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है ।

भवदीय,

(उमेश कुमार)
प्रमुख सचिव

सं0- 151 /2017/ 1958(1)/सात-न्याय-9(बजट)-2017, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) रिपोर्ट लेखा अनुभाग उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- निबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच लखनऊ ।
4- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, प्रथम तल, जवाहर भवन, लखनऊ ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्टेट लखनऊ मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच के माध्यम से ।
6- जनपद न्यायाधीश वाराण्सी / वित्त ई- 12 ।
7- निदेशक सी0एण्ड डी0एस0 उ0प्र0 जल निगम लखनऊ ।
8- परियोजना प्रबन्धक, यूनिट-24 सी0एण्ड डी0एस0 उ0प्र0 जल निगम बाराणसी ।
9- सम्बन्धित समीक्षा अधिकारी/ गार्डबुक न्याय-9 (बजट) ।

आज्ञा से,

(सन्त लाल)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।